(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० में एक के बाद एक चार व्यक्तियों को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है कोल इंडिया लि० के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के 31.3.1982 को निवर्तन के फलस्वरूप, कोल इंडिया लि० की एक सहायक कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को कोल इंडिया लि० में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया जो नियमित नियुक्ति किए जाने तक था। इस पद के लिए नियमित नियुक्ति नवम्बर, 1982 में की गई थी। इस मामले पर जुलाई, 1983 में आगे विचार किया गया और वर्तमान अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया गया।

नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किया जाना

4410. श्री राम लाल राही :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 1977—79 के दौरान दूरदर्शन में आर्टिस्टों के पदों पर काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में एक फार्मूला तैयार किया था, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि 21 मार्च, 1980 तक एक वर्ष में जिस नैमित्तिक कर्मचारी ने 200 दिन की सेवा पूरी कर ली हो, उसे नियमित कर दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आर्टिस्टों को नियमित करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं, जो उसके बाद नवम्बर, 1983 तक बहुत दिन काम कर चुके हैं ;

(ग) क्या सरकार इसे शीघ्र कार्यान्वित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार ने उन नैमित्तिक कलाकारों, जिन्होंने 1974-75 से 1979-80 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान एक एकल वर्ष में 200 दिन या तीन लगातार वर्षों में 365 दिन सेवा की है, को नियमित करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

दूरदर्शन ने इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं जो उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित मानदंड पूरा करते हैं।

(ख) जिन नैमित्तिक कलाकारों ने 31.3.1980 तक निर्धारित संख्या में दिन सेवा नहीं की है वे नियमित किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Refund of EPF Amount to the Retrenched Staff

4411. SHRIMATI MADHURI SINGH: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state whether there is any time limit for the payment of the contributory provident fund due to the employees retrenched by private organisations ?